

प/॥॥२५

अधिकृत अपीलार्थ अनु.। अधिकृत मपी.  
एवं अपीलार्थ के न्यायालय की ओर  
से बार-बार आवेजें लगाई गईं लेकिन  
उनकी ओर से कोई उप. नहीं आया।  
अतः पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी  
में खारिज की जाती है। पत्रावली फेमल  
शुक्रार हाउर नम्बर से उम हाउर  
दाखिल दफ्तर है।